

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
दूसरी मंजिल, जी०एस०आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र,  
महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधानसभा,  
रायपुर -(छ.ग.)-492005,  
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595,



**उल्लंघन पत्र** **SPEED POST.**  
Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of Regional controller of mines  
2<sup>nd</sup> Floor, GSI FTC, AG office Complex  
Post- Vidhan sabha, Raipur (CHG)-492005  
Telefax-0771-2282530 / 2285595  
[Email-ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:Email-ro.raipur@ibm.gov.in)

No- CHG/DRG/LST

खान कोड - 38MPR13007

दिनांक - 23/06/2021

प्रेषित श्री वैभव दीक्षित, (खान एजेंट)

मेसर्स एसीसी लिमिटेड, जमुल सीमेंट वर्क्स,

पो. - जमुल सीमेंट वर्क्स, तहसील- धामदा

भिलाई, जिला. -दुर्ग -490 024 (छ.ग.)

ईमेल: vaibhav.dixit@acclimited.com, radheshyam.ray@acclimited.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के Durg जिले में स्थित आपकी Pathariya -II Limestone Mine, 37.85 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय,

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 15/06/2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11 (1)	Mining Operation are not being carried out in accordance with the Mining plan approved vide No DURG/LST/MPLN-1117/2017-RAIPUR/692, dated 06.11.2017 to the extent below: i) As per approved Mining Plan, Proposed Quantity of overburden generation in 54010 m <sup>3</sup> during the year 2020-21, but in F.Y 2020-21 Quantity of overburden increased upto 87232. m <sup>3</sup> .
Rule 35 (2)	The softcopy (in the standard format), of high-resolution satellite images obtained from CARTOSAT-2 Satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map has not been submitted.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7)(C) के अंतर्गत  
(क) खदान की सारी सक्रियाएं बन्द की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैंतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

( आर. एन. मिश्र )  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि - for Information please By email

- 1 खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
- 2 उप-महानिदेशक सांख्यिकी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर -440001
- 3 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर